नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा...

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

(2)

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या ....

of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
	3
गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 20,21 के वकील श्री भवानी सिंह ओड उपस्थित। शेष प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.12.2022 को पेश हो।	
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
27.12.2022 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 8, व 20, 21 के वकील श्री भवानी सिंह ओड उपस्थित। पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई थी। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि राजस्व ग्राम गंगाणी के खसरा सं० 1790/2, 2065, 536/2, 771, 849/2, कुल पांच व ख.नं. 498 कुल खसरों में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है जिसमें वादी सं. 1 का नाम सतुराम पुत्र कुसाराम अंकित है जबकि वादी सं. 1 के पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, में सही नाम छतरसिंह पुत्र कुसाराम अंकित है। वादी सं. 1 का नाम मौ.नामान्तरण	

मूलिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675, 2615421

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	दर्ज करते समय सामान्य बोल-चाल वाला नाम छतरसिंह पुत्र पुसाराम के स्थान पर सतुराम पुत्र पुसाराम दर्ज हो गया। जो गलत है। अतः वादी स. 1 का नाम सतुराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर छतरसिंह पुत्र पुसाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी स. 1 से 8 20, 21 के वकील भवानी सिंह भाटी द्वारा बताया गया। कि वादी स. 1 का नाम सतुराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर छतरसिंह पुत्र पुसाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त रिपोर्ट के पैरा स. 1 में बताया कि माननीय न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का राजस्व हित प्रभावित नहीं होता है। पत्रावली का आनुपूर्विक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट का परिशीलन किया गया। बाद बहस मनन एवं दस्तावेजों व जांच

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

(3)

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या

of के न्यायालय में सहायक कलक्टर at पर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

of Case प्रकरण का प्रकार 88 RTACT व 136 LR ACT

ber of Case प्रकरण की संख्या 56/2022 Year वर्ष

छतरसिंह व अन्य Versus बनाम अम्बालाल

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3

रिपोर्ट का परिशीलन करने के बाद सतुराम पुत्र मुसाराम के स्थान पर छतरसिंह पुत्र पुसाराम राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किया जाना योग्य है

<u>आदेश</u> ।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम गंगाणी के खसरा स. 1390/2, 2065, 536/2, 771, 849/2, कुल पांच एवं ख.नं. 498 खसरों में वादी स. 1 का नाम सतुराम पुत्र मुसाराम के स्थान पर छतरसिंह पुत्र पुसाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार बावड़ी को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील नियमानुसार हेतु एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी